दिल्ली विधान सभा

(विधायी कार्यों तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार मार्च 31 1995/चैत्र 10, 1917 (शक)

संख्या-161

नियम 259 के अन्तर्गत ऐसा विषय उठाना, जो औचित्य प्रश्न न हो, की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश:-

विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन का नियम 259 जो इस नियम के अन्तर्गत विषय उठाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है वह निम्न रूप से पुन: प्रस्तुत है:-

259 ऐसा विषय उठाना, जो औचित्य प्रश्न न हो जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो औचित्य प्रश्न न हो , तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बताएंगे, जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बताएंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जायगी जो अध्यक्ष निश्चित करें"।

2. माननीय अध्यक्ष द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 271 के अन्तर्गत यथा अनुमोदित नियम 259 के अन्तर्गत विषय उठाने के संबंध में नई प्रक्रिया निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है :

1. स्वीकार्यता की शर्तें

किसी भी नोटिस को स्वीकार्यता प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :-

(i) वह किसी ऐसे मामले में संबंध में नही होगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का प्राथमिक विषय न हो,

(ii) वह किसी ऐसे मामले से संबंधित नही होगा, जिस पर उसी सत्र में विचार-विमर्श किया जा चुका हो अथवा इसी सत्र के दौरान किसी नियम के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से वास्तविक रूप में मिलता-जुलता हो ,

3§ वह 250 शब्दों से अधिक लम्बा नही होगा ,

4§ उसमें एक से अधिक विषय उठाया नही जायगा , तथा

5§ उसमें तर्क-वितर्क, अनुमान, व्यंगात्मक, अभिव्यक्तियों, आरोपण, विषेय §गणसूचक§ अथवा मानहानिकारक कथन नही होंगे , और

6§ वह जन महत्व का होगा ।

2. सूचनाओं का सदन-पटल पर प्रस्तुत करने का समय तथा उनकी वैधता :

1§ केवल उन्हीं सूचनाओं पर उसी दिन विचार-विमर्श होगा जिन्हें प्रत्येक दिन 11.00 तक प्राप्त किया जायगा । दिए गए समय की अवधि खत्म हो जाने के बाद प्राप्त की गई सूचनाओं नोटिसों को अगली बैठक के लिए रखा जायगा ,

2§ यदि दस से अधिक नोटिस एक विशेष दिन के लिए प्राप्त किए जाते हैं उनकी प्राथमिकता 11.15 प्रात: सचिव कक्ष §विधानसभा§ के कक्ष में बैलट द्वारा निश्चित होगी सदस्य स्वयं देख सकते हैं कि बैलेटिंग कैसे की जा रही है ,

3§ ऐसे नोटिसों को जो 11.00 बजे प्रात: के बाद प्राप्त किए जाते हैं और वे भी जो प्राथमिकता में नही रखे जाते हैं वे अगले दिन की बैलेटिंग के योग्य होंगे यद्यपि सभी विचाराधीन §लंबित§ नोटिस सप्ताह के अन्त में समाप्त हो जायेंगे । सप्ताह के गत दिवस को 11.00 बजे के बाद प्राप्त किए गए नोटिसों के अतिरिक्त जिन पर सदन की बैठक होती है जो अगले सप्ताह के लिए वैध होंगे । ऐसे नोटिस उनकी प्राप्ति के समय और दिनांक के अनुसार व्यवस्थित होंगे लेकिन प्राथमिकता अगले सप्ताह में बैठकों के लिए बैलट द्वारा निश्चित होगी ;

4. जो नोटिस सप्ताह के लिए प्राथमिकी में स्थान नही पा रहें हैं जिनको पटल पर प्रस्तुत किया जाना है वे उस सप्ताह के अन्त में समाप्त जायेंगे ।

3. उठाए गए मामलों पर प्रतिबन्ध

1§ एक सप्ताह के दौरान कोई भी सदस्य एकाधिक विषय नही उठायेगा ।

2§ किसी एक विशेष दिन की बैठक के लिए प्राथमिकता ऐसे सदस्यों को दी जायगी जिन्होंने कि उस सप्ताह कोई मामला न उठाया हो ।

3§ फिर भी यदि किसी विशेष दिन कम संख्या में सदस्यों से नोटिस आये हो या बिल्कुल न आये हों, जैसा कि उपरोक्त §1.§ में बताया गया

है, तो ऐसे खाली स्थान उन सदस्यों को बाँट दिए जायेंगे जिन्होंने कि उस सप्ताह में दूसरा मामला उठाया है इन सबकी प्राथमिकता बैलेट के द्वारा निश्चित होगी ।

4§ अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया मूल पाठ ही अभिलेख में जायेगा ।

§पी० एन० गुप्ता§
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN - PART II

(General Information relating to Assembly and other matters)

Friday, March 31, 1995/Chaitra 10, 1917(Saka)

NO. 161

PROCEDURE FOR RAISING A MATTER WHICH IS NOT A POINT OF ORDER UNDER RULE 259 - DIRECTION REGARDING.

Rule 259 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which lays down the procedure for raising matters under Rule 259 is reproduced below:-

"259 Raising of a matter which is not a Point of Order.

A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order, shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix ".

2. The following new procedure, as approved by the Hon'ble Speaker under Rule 271 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi,1993, has been laid down regarding raising of matters under Rule 259:

.....2

I. Conditions of admissibility

In order that a notice may be admissible it shall satisfy the following conditions:-

i) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the Government of National Capital Territory of Delhi;

ii) it shall not relate to a matter which has been discussed in the same session or which is substantially identical to the matter already raised by a member under this rule during the session;

iii) it shall not exceed 250 words;

iv) it shall not raise more than one issue;and

v) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements; and

vi) it shall be of public importance.

II. Time for tabling notices and their validity:

i) Only such notices which are received upto 11.00 AM on each day shall be entertained for that day. Notices received after the expiry of the given time shall be valid for the next sitting only.

ii) If more than ten notices have been

.....3

received for a particular day, their inter-se priority will be determined by ballot in the room of Secretary(LA) at 11.15 AM. Members may see for themselves how the balloting is being done.

iii) Such of the notices which are received after 11.00 AM and also those which do not find place in the priority shall be eligible for balloting for the next day. However, all pending notices shall lapse at the end of the week, except notices received after 11.00 AM on the last day of the week on which the House sits, which shall be valid for the next week. Such notices shall be arranged in accordance with the date and time of their receipt, but the priority will be determined by ballot for the sittings in the next week.

iv) Notices not finding place in priority for the week for which they have been tabled, shall lapse at the end of that week:

Provided that a notice referred for facts under orders of the Speaker shall not lapse till it is finally disposed of.

III. Restrictions on raising matters:

i) No member shall raise more than one matter during a week.

.....4

ii) Priority for a particular day's sitting will be first given to such members who have not raised any issue during that week.

iii) However, in case on a particular day some slots are available due to non-receipt or receipt of lesser number of notices from members as indicated in (ii) above, such vacant slots will be allotted to the members who have raised second issue during that week. The inter-se priority will be determined by ballot.

iv) Only text approved by the Speaker shall go on record.

P. N. GUPTA
SECRETARY(LA)